

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

हरिनारायण बनाम् मुस्मात छोटा वगैरा

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2727 / 2012

आदेश दिनांक

04.01.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री दिनेश चन्द्र सोमानी

श्री राहुल खण्डेलवाल, अधि. वास्ते श्री प्रवीण जैन, अधि. अपीलार्थी की ओर से
श्रीमती चित्रा गोयल, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी संख्या 6 बीमा कम्पनी

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि प्रकरण में बहस के समय अधिकरण के अभिलेख की आवश्यकता पड़ेगी।

विद्वान अधिकरण का अभिलेख तलब किया जावे। अभिलेख की तलबी चिट्ठी विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को 'दस्ती' दी जावे।

प्रकरण सुनवाई हेतु दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(न्या. दिनेश चन्द्र सोमानी)

एमसीएस
M-92

सत्यमेव जयते